



उद्घरण खतौनी



उद्घरण क्रमांक : 143546202601700

ग्राम क्रमांक : 143546 ग्राम का नाम (परान्त) : सेंवई(विजनाई) तहसील : सरोजनी नगर जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1) खाना संख्या : 00233
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
421	1) शीतल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. / द्वारा डायरेक्टर विमल कुमार / कार्या. सी- 2195 इन्दिरा नगर लखनऊ		1422फ.	421(1435460421000012)	0.1640	1) 1/1	1) 0.1640	95.84
							0.1640	
कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1640 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 95.84 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1640)(हेक्टेयर)								
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया			
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)		

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :
(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति
(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :
(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :
(19) अप्रयुक्ति :
पूर्व आदेशों का विवरण
1) आदेश न्यायालय अति. कलेक्टर (प्र.श्रे.)/उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर, लखनऊ वाद सं.03/2015-16 धारा 143 उ.प्र. जमी.वि. एवं भू. व्य. अधि. ग्राम सेवई की खतीन अधि. ग्राम सेवई की खतीनी वर्ष 1419-1424 के खाता सं. 51 की गाटा सं. 4066 मि/0.1520, 411 मि/0.1070, 427 सें/0.084 हे. व खसरा सं. 416/0.1950 हे. 2) कुल रकबा 0.5380 हे. मा. गु. 60 ख को अकृषिक घोषित किया जाता है अन्य नियमों व मास्टर प्लान पर प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार अनुमत्त हो यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन कुक्कुट पालन बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु 3) उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज.वि. एवं भू. व्य. अधि. के तहत तहसीलदार को आख्या प्रस्तुत करेंगे पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी आवधिक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जाए ह.र.का. 30.1.16 4) आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहा. कले. (प्र.श्रे.) सदर लखनऊ वाद सं. 513/14-15 शीतला इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा. लि. बनाम उ.प्र. सरकार धारा 143 जेड.ए.एल.आर. एक्ट ता. फे. 19.2.15 ग्राम सेवई पराना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की भूमि खसरा सं. 440/0.2253 हे., 413/0.330 हे., 433/0.266 हे., 405/ 5) 0.076 हे. कुल 4 किता कुल रकबा 0.925 हे. पूर्ण व 404/0.436 हे., 400/0.021 हे., 407/0.167 हे., 439/0.185 हे. कुल 4 किता कुल रकबा 0.809 हे. में से रकबा 0.4045 हे., 445/0.299 हे. पूर्ण व 419/1/0.038 हे., 437/0.190 हे. कुल 2 किता कुल रकबा 0.228 हे. रकबा 1.8566 हे. भूमि को 6) कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमत्त होगा ह.र.का. 30.3.15 7) न्यायालय अति 0 कलेक्टर (प्र 0 श्रे 0) / उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ वाद संख्या 05/2015-16 धारा 143 उ.प्र. ज.वि. एवं भू. व्य. अधि. उमेश कुमार बनाम उ.प्र. सरकार आदेश दिनांक 29.01.16 खातेदार उमेश कुमार पुत्र स्व. श्रीपाल के नाम दर्ज ग्राम सेवई पराना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की खसरा संख्या 396 सें/1.0120, खसरा संख्या 414/0.0250 हे. मा. गु. 60 ख को अकृषिक घोषित किया जाता है यह घोषणा मात्र मालगुजारी की दृष्टि से की जा रही है अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार अनुमत्त होगा यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज.वि. एवं भू. व्य. अधि. के तहत तहसीलदार आख्या प्रस्तुत करेंगे पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी आवधिक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा ह.र.का./30.1.16 न्यायालय अति. कलेक्टर (प्र.श्रे.)/ उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ वाद संख्या 05/2015-16 धारा 143 उ.प्र. ज.वि. एवं भू. व्य. अधि. उमेश कुमार बनाम उ.प्र. सरकार आदेश दिनांक 02.03.16 ग्राम सेवई पराना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ भूमि से सम्बन्धित वाद धारा 166/167 ज.वि. एवं भू. व्य. अधिनियम के तहत न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त वाद में दि. 29.01.16 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है ह.र.का. 14.03.16 न्यायालय अति. कलेक्टर (प्र.श्रे.)/ उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ वाद संख्या 05/2015-16 धारा 143 उ.प्र. ज.वि. एवं भू. व्य. अधि. उमेश कुमार बनाम उ.प्र. सरकार आदेश दिनांक 01.02.16 ग्राम सेवई पराना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की गाटा सं. 396 सें/1.0120 हे. व गाटा सं. 414/0.025 हे. को अकृषिक घोषित किये जाने सम्बन्धी आदेश दि. 29.01.16 वापस लिया जाता है ह.र.का. 04.04.16

Data Digitally Signed by: INDAL PAL/REVENUE KANOONCO)

दिनांक/वसत/समय: 31-01-2026 01:55:48 तहसील : सरोजनी नगर

यह प्रत्यक्ष खतीनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा किया की गयी है तथा साइट डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा स्वतः प्रमाणित है

मुद्रित कर्ता : ALAY SHUKLA तहसील : सरोजनी नगर

मुद्रित दिनांक एवं समय: 31-01-2026 01:55:48

Not Applicable For Online Prints उक्त खतीनी का डेटाबेस <https://upbphulekh.gov.in> WebSite पर जाकर अपडेट QR Code Scan करके किया जा सकता है।